

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच (24) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच (78) दिनांक 25 जुलाई 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले धातु स्क्रेप की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।”।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. एफ ए 3-36-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1-पांच (24), दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> November 2024

No. F A 3-36/2017/1/V (24) : In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A 3-36/2017/1/FIVE (66) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, after the opening paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :-

“ Provided that nothing contained in this notification shall apply to any person engaged in the supply of metal scrap, falling under Chapters 72 to 81 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10<sup>th</sup> of October, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.